संख्या-24/2022/1154ई-2/तेरह-2022-87/06-1634237

प्रेषक,

राजवीर सिंह,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊःदिनांक 20 जून, 2022**

विषयः- मे. सक्सेरिया बिसवां शुगर फैक्ट्री लि. आसवनी इकाई बिसवां, जनपद सीतापुर की क्षमता वर्ष में 300 कार्यकारी दिवस से बढ़ाकर 350 कार्यकारी दिवस स्वीकृत करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी.-138/दो-प्रा.डी.-115, सक्सेरिया बिसवां, दिनांक 07-03-2022 एवं पत्र सं.-जी.-158/दो-प्रा.डी.-115, सक्सेरिया बिसवां, दिनांक 26-04-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा उक्त पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मे. सक्सेरिया बिसवां शुगर फैक्ट्री लि., आसवनी इकाई बिसवां, जनपद सीतापुर की वर्तमान में सी हैवी शीरे पर निर्धारित 65 किलोलीटर प्रतिदिन अल्कोहल उत्पादन क्षमता को यथावत रखते हुये अर्थात् वर्ष में 300 कार्यकारी दिवस को बढ़ाकर 350 कार्यकारी दिवस करते हुए आसवनी की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 195 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 227.50 लाख ली. तथा बी हैवी शीरे पर अन्तरिम रूप से 300 कार्य दिवस के आधार पर स्वीकृत अतिरिक्त क्षमता 16 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 300 कार्य दिवस के आधार पर अतिरिक्त रूप से स्वीकृत 48 लाख ली. अर्थात कुल 243 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 350 कार्य दिवस के आधार पर प्रतिदिन क्षमता को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यथावत रखते हुए 283.50 लाख ली., जिसमें अन्तरिम रूप से स्वीकृत अतिरिक्त क्षमता 56 लाख ली. भी सम्मिलित है, निर्धारित किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्पादन किया जायेगाः-

(1) आसवक/इकाई द्वारा भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विहित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 10-08-2021 द्वारा निर्गत जल सहमति एवं वायु सहमति आदेश में उल्लिखित शर्तें।

(3) आसवक/इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) बी-हैवी शीरे का उपभोग समाप्त होने के पश्चात सी-हैवी शीरे पर अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।